कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

// परिपत्र //

क्रमांक...401.../दो–12–01/2004 उज्जैन, दिनांक...19.../04/2024

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि बाह्य तहसील न्यायालय एवं अनुभागों में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण पदीय कर्तव्य स्थल पर प्रतिदिन बिना किसी सक्षम अनुमति के आना–जाना कर रहे है, जिसके कारण न्यायालयीन कार्य तो विपरीत रूप से प्रभावित हो ही रहा है तथा अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य भी समय से पूर्ण नहीं हो पा रहे है, एवं न ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अत्यावश्यकता की स्थिति में न्यायालयों से चाही गई जानकारी कर्मचारियों को प्रतिदिन आना–जाना करने के कारण समय पर प्राप्त हो पा रही है, जो कि पूर्णतया अनुचित है।

अतः समस्त बाह्य तहसील न्यायालयों खाचरौद/नागदा/बड़नगर/महिदपुर/तराना में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके न्यायालय एवं जिस अनुभाग के वे प्रभारी है में पदस्थ अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदीय कर्तव्य स्थल से प्रतिदिन आने–जाने पर पूर्णरूप से अकुंश लगाते हुए कर्मचारियों को निर्देशित करे कि वे पदीय कर्तव्य स्थल पर ही निवास करे तथा उनके निवास पते की पूर्ण जानकारी मय सूची यथाशीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत करे।

उपरोक्त परिपत्र बाह्य तहसील न्यायालयों में पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण में अनिवार्यतः परिचालित करवाया जाकर उसका कठोरता से पालन किया जाना सुनिश्चित करे। कर्मचारीगण द्वारा अपालन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही जिस कर्मचारी द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जावें, ऐसे कर्मचारियों के संबंध में तत्काल जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत करे।

Sd/-

(दीपेश कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक...3849.../दो–12–01/2004 उज्जैन, दिनांक...19.../04/2024

प्रतिलिपि–

1– बाह्य तहसील न्यायालयो पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं प्रभारी अधिकारी, नजारत/मालखाना/अभिलेखागार/प्रतिलिपि/तलवाना/फाईलिंग/कम्प्यूटर/ग्रंथालय अनुविभाग, खाचरौद/नागदा/बड़नगर/महिदपुर/तराना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2– नायब नाजिर, नजारत अनुविभाग, खाचरौद/नागदा/बड़नगर/महिदपुर/तराना की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं परिपत्र का परिचालन समस्त कर्मचारियों में करवाया जाना सुनिश्चित करे।

3– कोर्ट मैनेजर/प्रशासनिक अधिकारी/समस्त उप प्रशा0 अधिकारी/लेखापाल, जिला न्यायालय उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)